

08-2-19

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त ऋषिकेश शर्मा द्वारा अ0 सं0 680/08 धारा 279,338,304ए,427 भा0दं0सं0 थाना मैलानी जिला-खीरी में वारन्ट निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पर सुना व अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण उनके विरुद्ध गैरजमानतीय वारण्ट जारी हो गया।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र में लिया गया आधार पर्याप्त प्रतीत होता है।अतः प्रार्थी द्वारा 25,000/-रु0 का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर उनके विरुद्ध जारी वारन्ट निरस्त किया जाये।

ए0सी0जे0एम0कोर्ट सं02,
खीरी।